भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1368
जिसका उत्तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

पूँजीगत माल योजना

1368. श्री धनंजय महाडीक:
श्री एम० उदयकुमार:
श्री राजीव सातव:
डॉ० हिना विजयकुमार गावीत:
श्रीमती संतोष अहलावत:
श्रीमती आर० वनरोजा:
श्री टी० राधाकृष्णन:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
कुँवर हरिवंश सिंह:
डॉ० सुनील बलीराम गायकवाड़:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अब विश्व में पूँजीगत माल के सबसे बड़े आयातकों में से है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने पूँजीगत माल के बढ़ते आयात पर रोक लगाने और देश में ही नई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत एक 'पूँजी माल योजना' शुरू की है और यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा व उद्देश्य क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबांटित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का एक प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके तहत कितनी धनराशि रखी गई है;

(घ) क्या प्रौद्योगिकी-लागत में सहायता देने के लिए कोई सीमा नियत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश में पूँजीगत माल योजना के तहत कितने और किस प्रकार के उद्योगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): महोदय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आयात-निर्यात डाटाबेस के अनुसार, भारत ने सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84, 85 और 98 के तहत शामिल केपिटल गुड्स, एसेसरीज, संघटक और इंजीनियरी मदों (ऑटोमोबाइल ऑटो संघटकों को छोड़कर) का वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमश: ₹3,89,248 करोड़ और ₹4,19,343 करोड़ का आयात किया है।

भारत द्वारा केपिटल गुड्स का बड़ी मात्रा में आयात किए जाने के मुख्य कारण घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों की कमी तथा आयातों के मामले में वैश्विक कंपनियों की तुलना में घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसरों का अभाव हैं।

(ख): जी, हां।

सरकार ने भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु एक स्कीम प्रारंभ की है।

इस स्कीम में सरकारी सहातया तथा उद्योग के अंशदान सहित पांच संघटक हैं। इस स्कीम में पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹ 581.22 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता और ₹349.74 करोड़ के उद्योग के अंशदान की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास और अधिग्रहण में सहायता देकर, अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्रों, सेक्टर विशिष्ट एकीकृत औद्योगिक सुविधा केन्द्र तथा परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र की स्थापना के माध्यम से भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस स्कीम के सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने पर, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के विकास, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की आशा है। स्कीम के संघटकों में घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक भागीदारी के साथ-साथ वित्तीय भागीदारी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:-

अवसंरचनात्मक भागीदारी:

- केपिटल गुड्स के भिन्न-भिन्न उप सेक्टरों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना। सरकार एक निश्चित सीमा के तहत परियोजना लागत की 80% राशि तक वित्तपोषण करेगी।
- एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा (आईआईआईएफ) की स्थापना करना। सरकार एक निश्चित सीमा के तहत परियोजना लागत की 80% राशि तक वित्तपोषण करेगी।
- साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्रों (सीईएफसी) की स्थापना करना। सरकार एक निश्चित सीमा के तहत परियोजना लागत की 80% राशि तक वित्तपोषण करेगी।
- सरकार की पूर्ण सहायता से परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र की स्थापना करना।

वित्तीय भागीदारी:

- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम। सरकार एक निश्चित सीमा के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए लागत की 25% राशि तक वित्तपोषण करेगी।

(ग): भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी इस स्कीम में प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/अंतरण के लिए एक संघटक नामत: प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) है। टीएएफपी के तहत वित्तीय सहायता केवल उन विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए दी जाएगी जिनमें प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, अधिग्रहण और आमेलन शामिल होगा। सरकार को टीएएफपी के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अनुमोदन के दो वर्ष बाद, आवश्यकतानुसार, किसी अन्य विनिर्माता को यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। इस स्कीम के तहत टीएएफपी संघटक के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹50 करोड़ की बजटीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

(घ): टीएएफपी के तहत, सरकारी अनुदान प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की लागत की 25% राशि तक सीमित होगा और दी जाने वाली अधिकतम राशि ₹10 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

(ङ): इस स्कीम से पूरे देश में समग्र रूप से केपिटल गुड्स उद्योग, जिसमें मूल उद्योग जैसे हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल्स आदि शामिल हैं, को लाभांवित होने की आशा है। शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग, उद्योग एसोसिएशनों आदि से इस स्कीम के तहत प्राप्त हुए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
जहां तक महाराष्ट्र और तमिलनाडु के संबंध में विशिष्ट विवरण का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि संबंधित विशेषोद्देश्य कंपनी द्वारा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से भूमि अधिप्राप्ति की शर्त के अध्यधीन चाकन, महाराष्ट्र में एक साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में मशीन टूल और उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने की भी परिकल्पना की गई है।

*****